

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (राज०)
पीठासीन अधिकारी का नाम - श्री रवि वर्मा, आर०ए०एस०

मुकदमा नंबर 09/23	किरम मुकदमा एफएसएस एक्ट, 2006	दर्ज दिनांक 16/06/2023
----------------------	----------------------------------	---------------------------

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु०चि० एवं स्वा० अधि० सवाई माधोपुर ।
-आवेदक

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री नन्दलाल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स:- हरिश किराना स्टोर, बजरिया स्टेशन, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी महुँ कलौं गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।
2. गोपाल राम पुत्र श्री रामभरोसी लाल मैसर्स :- साक्षी एन्टरप्राईजेज अंगद होटल के नीचे, बयाना जिला भरतपुर निवासी गौंधी सेवा सदन रोड, लाल बाग, बयाना जिला भरतपुर ।
-अभियुक्तागण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011


निर्णय

दिनांक:- 29.04.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 27/09/2022 को दोपहर 02:00 पी०एम० पर मैसर्स हरिश किराना स्टोर, बजरिया स्टेशन गंगापुर सिटी पर पहुँचा वहा पर आम जनता को विक्रय हेतु LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) 1 किलोग्राम विक्रय हेतु रखकर बेचा जा रहा था। LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) डिब्बा पैक में मिलावट का अंदेशा होने पर 1 किलोग्राम के 4 डिब्बे LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) खरीदा उसकी कीमत 480/- रु० विक्रेता श्री मोहनलाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 04 पैक डिब्बे LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) 1-1 किलो पैकिंग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-2446 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। एक नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के डी०ओ० (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी०ओ० एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के प्रत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/214 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विश्लेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2858/ एक्ट/2022/ 2908 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2858/ एक्ट/2022/ 2906 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक वेद प्रकाश पूर्विया को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई विधिक रूप से कोई अधिकार दिनांक 27.09.2022 को नहीं था। वेदप्रकाश पूर्विया व साक्षी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार सैम्पल नहीं लिया गया। सैम्पल अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एनेललिस किया गया। करण सिंह तनवार के पास एनेललिस से सम्बन्धि कोई आवश्यक योग्यता नहीं है। परिवादी व गवाह सभी विभाग के अधिकारी व अधिनस्थ कर्मचारी है तथा मौके पर कार्य की तब मौके के स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये गये है। अप्रार्थी सं० 1 किराना की दुकान करता है और खुर्दरा माल विक्रय करता है। अप्रार्थी सं० 1 ने अप्रार्थी सं० 2 से पांच डिब्बे LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) पैकिंगशुदा खरीदे थे और पैकिंग में ही विक्रय करता है। अप्रार्थी सं० 1 का कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अप्रार्थी सं० 1 के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप करने की कृपा करे, साथ ही अप्रार्थी सं० 2 की पत्नि वंदना मैसर्स साक्षी इन्टरप्राइजेज के नाम से लघु कुटिर उद्योग चलाकर परिवार का पालन पोषण करती है। उनके पास इस लघु उद्योग के अलावा अन्य कोई आजिविका का साधन नहीं है। उक्त उद्योग एक महिला समूह की श्रेणी में आता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2858/ एक्ट/2022/ 2906 दिनांक 11.10.2022 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ LISODA PICKLE (SHAKSHI GOLD) मिसब्राण्डेड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। वकील अभियुक्त ने दौराने बहस अवगत कराया कि आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई विधिक रूप से कोई अधिकार दिनांक 27.09.2022 को नहीं था। उक्त कम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01/09/22 द्वारा आवेदक का स्थानान्तरण जिला सवाई माधोपुर में किया गया था, साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।


अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण सं० 1 लगायत 2 को पृथक-पृथक रूप से 5000-5000 (पांच-पांच हजार) रू० की



अतिरिक्त
आदेश
राजस्थान
जयपुर

आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगपुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त गंगपुर सिटी
गंगपुर सिटी